

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

अनुरोध के आधार पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17(ख) (तीन) में उल्लिखित प्राविधानानुसार सेवारत पति-पत्नी जिनके पुत्र/पुत्री विकलांग हों, के स्थानान्तरण हेतु राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों द्वारा उपलब्ध कराये गये विकल्पों का विवरण-

क्र.सं.	अध्यापक का नाम	पदनाम/विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम	प्रथम नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	राजकीय सेवा में कुल सेवा अवधि (दिनांक 31-05-2026 तक)	वर्तमान विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की तिथि	वर्तमान विद्यालय में ठहराव की कुल अवधि	औप0 स0अ0/शिक्षा मित्र है अथवा नहीं	संस्था का नाम (जिसके द्वारा विकलांगता का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है)	परिवार रजिस्टर की नकल अथवा शपथ पत्र	स्थानान्तरण हेतु विकल्पित 10 विद्यालय (विकासखण्ड/जनपद/श्रेणी सहित)										अन्य विवरण
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	श्री मोहन सिंह नेगी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 डाबरी	रिखणीखाल	14.03.2005	21वर्ष 02माह 17दिन	17.04.2022	04वर्ष 01माह 14दिन	नहीं	50 प्रतिशत मु0चिकि0 अधिकारी कोटद्वार	संलग्न नहीं	रा0प्रा0वि0 ध्रुवपुर दुगड्डा	रा0प्रा0वि0 मगनपुर दुगड्डा	रा0प्रा0वि0 खुण्डोली दुगड्डा	रा0प्रा0वि0 डेरियाखाल जयहरीखाल	रा0प्रा0वि0 बागी दुगड्डा	-	-	-	-	-	